न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण बनाम जगन्नाथ किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 15/2019	
20.09.2024	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 117/2015 उनवानी सरकार बनाम जगन्नाथ में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 के अनुसार प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया था कि रेफरेन्स से सम्बन्धित अभिलेख एवं अप्रार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में परिवर्तन हो तो उनके वारिसों के आधार पर पूर्ण पता अंकित करते हुये नये सिरे से रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे। विचाराधीन प्रकरण में पटवारी हल्का रजवास की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2019 के अनुसार अप्रार्थी जगन्नाथ पुत्र बरदू जाति माली निवासी रजवास की मृत्यु होना अंकित किया गया है, इसके उपरान्त भी दिनांक 11.09.2019 को जगन्नाथ पुत्र बरदू जाति माली के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण पेश किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार लवाण को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थी जगन्नाथ पुत्र बरदू के वारिसान की जांच कर संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:26:17 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official